क्रमांक 28/13/91-2 जी0एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा।

(2) आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव एवं हिसार मण्डल तथा उपायुक्त एवं सभी उप-मण्डल अधिकारी, (नागरिक) हरियाणा।

(3) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ :-- 24-10-91

विषय :- हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में वर्ष 1990 के दौरान लगे कर्फ्यू तथा मण्डल आयोग के विरुद्ध आरक्षण के विरो में प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोके जाने अथवा बन्द किए जाने के कारण जो कर्मचारी/अधिकारी कार्यालयों उपस्थित नहीं हो सके उनकी अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और सूचित करूं कि वर्ष 1990 दौरान भारत सरकार द्वारा मण्डल आयोग की सिफारिश लागू किए जाने के फलस्वरूप हुए प्रदर्शनों के कारण चण्डीगढ़ तथ राज्य के कुछ भागों में समय-समय पर कर्फ्यू लगाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोकने तथा बन का आह्वान करने के कारण बहुत से कर्मचारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो सके थे। विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्ण लिया है कि सरकार द्वारा घोषित कर्फ्यू के दिनों कर्मचारियों की अनुपस्थिति को ड्यूटी की अवधि मानी जाए तथा प्रदर्शन कारियों द्वारा रास्ता रोके जाने एवं बन्द के आह्वान के कारण पंचकूला व मोहाली में रह रहे कर्मचारियों की कार्यालय अनुपस्थिति की अवधि को भी देय अवकाश (leave of the kind due) मानते हुए नियमित किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय के पालना हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवा हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व, तथा

(2) सभी प्रशासकीय सचिव विभाग, हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 28/13/91-2 जी0एस0-I दिनांक 24-10-91 /